



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233697
CG-DL-E-23022022-233697

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943

No. 799]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

का.आ. 828(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3539(अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2020, भारत के राजपत्र सं. 3132 दिनांक 12 अक्टूबर 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में “कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील हुजूर जिला भोपाल राज्य मध्य प्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 26 नवम्बर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची

तहसील: हुजुर

जिला: भोपाल

राज्य: मध्य प्रदेश

गांव का नाम	खसरा नं०/ब्लॉक न०	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आरे.	वर्ग.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भौरी	549	00	05	57
	551/2	00	03	85
	546,547	00	20	27
	557/1	00	20	77
	1374/546,545/2	00	00	47
	551/1,552,553,554,557/2,1346/551	00	02	61
	558	00	07	22
	560	00	09	74
	567,568,569, 570/2,579	00	27	83
	580/2	00	01	77
	584,580/1	00	07	94
	585	00	05	86
	606	00	13	09
	607	00	02	24
	605/2, 603/1	00	05	42
	605/1, 603/3	00	06	31
	604	00	02	07
	602,603/2	00	01	27
	596	00	25	61
	655	00	06	12
	656	00	07	27
	716, 717, 718, 719, 721, 724	00	11	08
	722	00	01	12
	730	00	05	30
	729	00	09	12
	736	00	04	38

गांव का नाम	खसरा नं०/ब्लॉक न०	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आरे.	वर्ग.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	871	00	04	60
	870	00	02	59
	866	00	00	50
	868	00	04	92
	901	00	04	92
	903	00	00	97
	902	00	03	17
	924	00	07	67
	923	00	12	14
	916	00	01	94
	917	00	09	36
	915	00	01	64
	191	00	14	19
	194	00	02	90
	192	00	00	11
	193	00	10	60
	186	00	12	13
	161	00	09	51
	160	00	09	01
	162	00	04	08
	157	00	09	26
	77/1	00	09	28
	79	00	19	22
	81	00	19	72
	84/1	00	26	45
	64/1	00	30	71
	61/2,62	00	09	49
	60/2,61/1	00	05	34
	60/1	00	13	04
	57	00	11	07
	56,55/2	00	12	17
	48/3, 55/1	00	08	97
	48/1	00	18	71
	40	00	05	41
	37	00	04	65

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-I/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2022

S.O. 828(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 3539(E) dated 07.10.2020 published in the Gazette of the India Gazette No 3132 dated 12.10.2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas in Tehsil Huzur District Bhopal In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 26 November 2021.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**TEHSIL: HUZUR****DISTRICT: BHOPAL****STATE: MADHYA PRADESH**

Name of Village	Survey No./Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bhauri	549	00	05	57
	551/2	00	03	85
	546,547	00	20	27
	557/1	00	20	77
	1374/546,545/2	00	00	47
	551/1,552,553,554,557/2,1346/551	00	02	61
	558	00	07	22
	560	00	09	74
	567,568,569, 570/2,579	00	27	83
	580/2	00	01	77
	584,580/1	00	07	94
	585	00	05	86

Name of Village	Survey No./Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	606	00	13	09
	607	00	02	24
	605/2, 603/1	00	05	42
	605/1, 603/3	00	06	31
	604	00	02	07
	602,603/2	00	01	27
	596	00	25	61
	655	00	06	12
	656	00	07	27
	716, 717, 718, 719, 721, 724	00	11	08
	722	00	01	12
	730	00	05	30
	729	00	09	12
	736	00	04	38
	871	00	04	60
	870	00	02	59
	866	00	00	50
	868	00	04	92
	901	00	04	92
	903	00	00	97
	902	00	03	17
	924	00	07	67
	923	00	12	14
	916	00	01	94
	917	00	09	36
	915	00	01	64
	191	00	14	19
	194	00	02	90
	192	00	00	11
	193	00	10	60
	186	00	12	13
	161	00	09	51
	160	00	09	01
	162	00	04	08
	157	00	09	26
	77/1	00	09	28
	79	00	19	22
	81	00	19	72

Name of Village	Survey No./Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	84/1	00	26	45
	64/1	00	30	71
	61/2,62	00	09	49
	60/2,61/1	00	05	34
	60/1	00	13	04
	57	00	11	07
	56,55/2	00	12	17
	48/3, 55/1	00	08	97
	48/1	00	18	71
	40	00	05	41
	37	00	04	65

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.